कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 11.05.2026

थाना कोतवाली पुलिस व इन्टेलिजेन्स विंग की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली व थाना राधानगर क्षेत्रातर्गत हुई चोरी की तीन घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 22 नग बिछिया सफेद धातु, 03 जोड़ी पायल सफेद धातु, 03 अदद सिक्के सफेद धातु, 03 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन, 02 नग अंगूठी सफेद धातु, 01 नग कमरबन्द पेटी सफेद धातु, 01 नग अंगूठी पीली धातु, 01 जोड़ी कान की बाली पीली धातु, 01 नग गले की चैन सफेद धातु, 01 नग लाकेट (ॐ) पीली धातु, 01 अदद सव्वल, 6000 रुपये एवं घटना में प्रयुक्त सब्बल बरामद।

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस व इन्टेलिजेन्स विंग की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली व थाना राधानगर क्षेत्रातर्गत हुई चोरी की तीन घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

1. थाना राधानगर

दिनांक 25.04.2026 को वादी श्री गुड्डू कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री देवी प्रसाद विश्वकर्मा निवासी पूर्वी नई बस्ती, अन्दौली पुलिया, थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 24.04.2026 को दिन में अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात एवं ₹10,000 नगद चोरी कर लिया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना राधानगर पर मु0अ0सं0 72/2026 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

2. थाना राधानगर

दिनांक 06.05.2026 को वादी श्री प्रमोद साहू पुत्र गुरु प्रसाद साहू निवासी पूर्वी नई बस्ती, जय मां सरस्वती ज्ञान मंदिर के पीछे, थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 05.05.2026 को अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर 01 सोने की चेन, 05 चांदी के सिक्के, 06 जोड़ी चांदी की बिछिया एवं ₹23,000 नगद चोरी कर लिया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना राधानगर पर मु0अ0सं0 83/2026 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

3. थाना कोतवाली

दिनांक 06.05.2026 को वादी श्री आनंद त्रिवेदी पुत्र श्री माधव प्रसाद निवासी शिवपुरम कॉलोनी गढ़ीवा (रियाज कॉलोनी), थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 06.05.2026 को प्रातः लगभग 11:00 बजे वह अपने परिवार सहित एक पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु घर से बाहर गए थे। सायं लगभग 04:00 बजे वापस आने पर घर का सामान बिखरा हुआ मिला तथा मुख्य अलमारी का लॉकर टूटा पाया गया। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि अज्ञात चोरों द्वारा 01 जोड़ी झुमकी, 01 जोड़ी बाली, चांदी की पायल, 01 पुरुष अंगूठी, 01 सोने की चेन तथा उनकी पत्नी की बहन का सामान, जिसमें 01 हाफ पेटी, 01 जोड़ी पायल, 01 जोड़ी झुमकी, 05-06 पुरानी टूटी बिछिया एवं ₹50,000 नगद शामिल थे, चोरी कर लिया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 187/2026 धारा 305/331(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण- उपरोक्त अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही, प्रभावी सुरागरसी-पतारसी एवं मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 11.05.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा निम्न अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया—

1. रीशू पासवान पुत्र श्रीराम पासवान निवासी झाऊपुर पुलिया, थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. दीपक कुमार उर्फ कमल पुत्र रामकुमार निवासी नई बस्ती राधानगर, थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 26 वर्ष।
3. जगदीश सोनी उर्फ आजाद पुत्र राधेकृष्ण सोनी निवासी खुशवंत राय नगर, थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 27 वर्ष।
4. भास्कर सोनी उर्फ गोलू पुत्र जयनारायण सोनी निवासी राधानगर गाजीपुर रोड, थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 32 वर्ष।

अभियुक्तों के कब्जे से बरामदगी-

1. 22 नग बिछिया सफेद धातु
2. 03 जोड़ी पायल सफेद धातु
3. 03 अदद सिक्के सफेद धातु
4. 03 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन
5. 02 नग अंगूठी सफेद धातु
6. 01 नग कमरबन्द पेटी सफेद धातु
7. 01 नग अंगूठी पीली धातु
8. 01 जोड़ी कान की बाली पीली धातु
9. 01 नग गले की चैन सफेद धातु
10. 01 नग लाकेट (ऊं) पीली धातु
11. 01 अदद सव्वल
12. 6000 रुपये।

बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/317(5)61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।
गिरफ्तार अभियुक्तगण को आज दिनांक 11.05.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण से गहन पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वे एक संगठित अपराधी गिरोह के रूप में कार्य करते हैं। गिरोह के सदस्य मोटरसाइकिलों से विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर सूने एवं बंद पड़े मकानों की रैकी करते थे तथा अवसर मिलते ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अभियुक्तगण द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि वे पूर्व में भी कई चोरी की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं तथा चोरी किए गए सामान को आपस में बांटकर आर्थिक लाभ अर्जित करते थे।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि दिनांक 11.05.2026 को भी वे चोरी की घटना कारित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में निकले थे और संभावित स्थानों की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम व द्वारा सक्रियता एवं सतर्कता दिखाते हुए मिड्डुपुर ट्रैक से लगभग 100 मीटर पहले घेराबंदी कर हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना के दौरान गिरोह का एक अन्य सदस्य शंकर पासवान पुलिस टीम को देखकर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा इनके आपराधिक इतिहास एवं अन्य घटनाओं में संलिप्तता के संबंध में भी गहन जांच की जा रही है।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त रीशू पासवान का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 509/24 धारा 305/317(2)/331(4) BNS थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 148/25 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 452/2022 धारा 380/511 भादवि थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
4. मु0अ0सं0 453/2022 धारा 401 भादवि थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
5. मु0अ0सं0 454/2022 धारा 411/413/414 भादवि थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
6. मु0अ0सं0 252/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
7. मु0अ0सं0 187/2026 धारा305/331(3)/ 317(2)/317(5)61(2) BNS थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
8. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 305(ए) BNS थाना राधानगर जनपद फतेहपुर
9. मु0अ0सं0 83/26 धारा 305(ए) BNS थाना राधानगर जनपद फतेहपुर

2.अभियुक्त दीपक कुमार उर्फ कमल का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 187/2026 धारा305/331(3)/ 317(2)/317(5)61(2) BNS थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 305(ए) BNS थाना राधानगर जनपद फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 83/26 धारा 305(ए) BNS थाना राधानगर जनपद फतेहपुर

3.अभियुक्त जगदीश सोनी उर्फ आजाद का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 187/2026 धारा305/331(3)/ 317(2)/317(5)61(2) BNS थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 305(ए) BNS थाना राधानगर जनपद फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 83/26 धारा 305(ए) BNS थाना राधानगर जनपद फतेहपुर

4.अभियुक्त भास्कर सोनी उर्फ गोलू का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 187/2026 धारा305/331(3)/ 317(2)/317(5)61(2) BNS थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 305(ए) BNS थाना राधानगर जनपद फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 83/26 धारा 305(ए) BNS थाना राधानगर जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

A. थाना कोतवाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक हेमन्त कुमार मिश्र थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
2. उ0नि0 रायसाहब यादव
3. उ0नि0 भारत सिंह
4. उ0नि0 अनीश शुक्ल
5. उ0नि0 आजाद कुमार यादव
6. का0 मंगल सिंह

B. **इन्टेलिजेन्स विंग टीम**

1. प्रभारी श्री विनोद कुमार मिश्रा
2. हे0का0 मनोज कुमार
3. का0 विवेक कुमार
4. का0 पवन चौधरी
5. का0 हरीश कुमार
6. का0रामसिंह पटेल